

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (Y-32) अलेसे-I / 2128-2134

दिनांक:- 23/12/2022

आदेश

मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 1864-1867 दिनांक 02.12.2022 द्वारा श्री योगेश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर (ग्रामीण) के रिक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के दिये गये अतिरिक्त कार्यभार की एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (Y-32) अलेसे-I / 2128-2134

दिनांक:- 23/12/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर (ग्रामीण)।
4. श्री योगेश शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।



(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)